

कार्यालय प्राग् पंचायत-

યુદ્ધ

विकास रघुपति

सादात

二四四

...मित्रांगु

七

दिनांक १३/६/२३

विषय:- जल जीवन गिराव (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उंचाई के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

卷之三

अवगत कराना ह कि दिनांक १७/६/२३ को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन पारिसर में ग्राम पंचायत में नियारा करने वाल प्रत्येक परिवारों की शुद्ध पेयजल की सप्लाई की खुली बेटक की गयी। बेटक म ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लखपाल पार्षदिक / जृष्णहाइस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ओंगनवाडी कार्यकर्ता / समायिका, कालंदाव, १०५-१०५० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उम्रता देखके मैं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइये पथजल योजनाओं हेतु दिशा—निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार—विमर्श किया गया। दिशा—निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करन की सहमति दी गयी है। परिनार के मुख्य द्वारा दी गयी सहमति पत्र भेज्या गया है।

जान जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायता पाइप पंथजल याजना प. किंग्सनगर तथा सचालन एवं अनुकृष्ण हत् सहमता है।

अब अनुरोध है कि कृष्णा यशाशीघ्र ग्राम पचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः परिपारा द्वारा क्रताक्षरित सम्मति पत्र।

भवद्वारा

प्राचीन भारतीय साहित्य

प्राम प्रधान

प्राप्ति विकास विभाग से दिल्ली
प्राप्ति विकास विभाग से दिल्ली
प्राप्ति विकास विभाग से दिल्ली

M.P. Singh
Editorial Office
Sri Satya Sai Books

प्रधान री-ना दिए
ग्राम पंचायत-खुटही
विकास खण्ड-साधात
जिला-गाजीपुर



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तयारी की तारीख: १२/६/२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २५/७/२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: खुटी

ग्राम पंचायत का नाम: खुटी

ब्लॉक का नाम: खुटी

ज़िला का नाम: गाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मरेशी कुँड़ी को और (संख्या) कपड़े धोने/सजान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल जापूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.इ.डी. / आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. वीन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव कर नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): प्रिया छल रमेश चंद्रशेखर भागीरथ

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: प्रिया छल

सिंग:

आयु:

प्रायाल
री.पी.सी.
ग्राम पंचायत-खुटी
विकास खण्ड-साला
ज़िला-गाजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6

2011-12 अनुसारी वर्षायाम	वर्षायाम विवरणात दर्शावा वाले वर्षायाम
अनुसारी वर्षायाम	वर्षायाम विवरणात दर्शावा वाले वर्षायाम
प्रभावी वर्षायाम	प्रभावी वर्षायाम
प्रत्यक्ष वर्षायाम	प्रत्यक्ष वर्षायाम
प्रत्यक्ष वर्षायाम	प्रत्यक्ष वर्षायाम
प्रत्यक्ष वर्षायाम	प्रत्यक्ष वर्षायाम
प्रत्यक्ष वर्षायाम	प्रत्यक्ष वर्षायाम
प्रत्यक्ष वर्षायाम	प्रत्यक्ष वर्षायाम

7. जनसंख्या अनमानः

नध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोत्रिटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोत्रिटर/दिन (के.एल.डी.)

८. वर्तमान मवेशी संख्या (पश्चालन रिकॉर्ड): _____

९. कविता फसल पैटर्नः :



10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 172.21 18° N.

11. स्थलाकृति (रामतल, ड्लान, आदि): _____

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) **हाँ**
(‘शाम कार्ये योजना’ के साथ मानचित्र संस्करण करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) **हाँ**
(‘याम वार्ष योजना’ के साथ मानचित्र संतुलन करें)

14.	प्राचीन विद्यालयों का नाम	प्राचीन एवं प्रसिद्ध विद्यालयों का नाम	प्राचीन विद्यालयों का नाम	प्राचीन विद्यालयों का नाम
1.	गुरुद्वारा	प्राचीन एवं प्रसिद्ध विद्यालयों का नाम	प्राचीन एवं प्रसिद्ध विद्यालयों का नाम	प्राचीन एवं प्रसिद्ध विद्यालयों का नाम
2.	आश्रमवाड़ी			
3.	प्राचीन विद्यालयों का नाम			
4.	प्राचीन विद्यालयों का नाम			

खानी की कृत दैनिक आयरणकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 145.10 के एल.डी.
 मरेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 92.0 के एल.डी.
 मवेशी बंडों की आवश्यक संख्या: 4
 मध्यवर्ती धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 135.11 के एल.डी.
 अंतिम धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 72.7 के एल.डी.

पानी की आपरिं का इतिहास

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सुखा/अकाल/धक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: वृद्धि

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेत गढ़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, सौत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: भूरेपिया, ईजा, दस्त, २१५३१२
पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / बाबल का उपयोग करके समुद्रय के साथ जल गुणवत्ता की छोकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सेनिटी निरीक्षण के सिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेचजल सौत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: सौत का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धोने / स्वान बतरने का स्थान

23. यह सम्भावना है कि गोव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की सहाया, जिनमें कपड़े धोने स्थान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

संक्षिप्त वर्णन	वार्ता की समय	आपदा
-----------------	---------------	------

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के भागों में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल अंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 62% के.एल.टी.अलग-अलग स्रोतों वाले परिवारों की संख्या: 50उन परिवारों की संख्या जिन्हे स्रोत गंदलों की आवश्यकता है: 40आवश्यक सामुदायिक स्रोतों की संख्या: 02क्या अपशिष्ट तब्दियां लालाव की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँयदि हाँ, तो वहा इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: माली लद्दी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कानून से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के सिए पूर्ववर्ती एन.आर.वी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- एर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे डे.जे.एम. के भलुकूल ढालाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलाद्विधान वाटर स्थानीय या धरातली जल दाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर पिंड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त्र/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: ट्रैक्टर

तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल जीवन नियन्त्रितइस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम परिवार का जीवनवह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संपि दी जाएगी: 2024योजना की लागत: 2.60 लाख भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: Xसमुदाय का हिस्सा: 10% व्यवित्रित घरेलू अंशदान:

वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: _____ व्यवित्रित घरेलू मासिक जल शुल्क:

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसरा बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	विभाग	गतिविधि/निधि	प्रस्ताव
मृदु जल का नाम	मृदु जल का नाम	ग्राम परिवार का जीवन	प्रस्ताव
मृदु जल का नाम	मृदु जल का नाम	ग्राम परिवार का जीवन	प्रस्ताव
मृदु जल का नाम	मृदु जल का नाम	ग्राम परिवार का जीवन	प्रस्ताव



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एवीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यप्रणाली (आर.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूग्री संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच। सूचियम् पूल्चंडरण, जल निकायों का नियंत्रण वृद्धि मार्दि।	
जल अडारों की संरक्षण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गवा संरक्षण विभाग	बड़े जल अडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और विकास बल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक उपलब्ध याती विभिन्न फसलों के लिए सूखनासिंचाई का प्रावधान, एकलीफर्स से जल की विकासी को कम करने के लिए	
क्षात्रिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्रारंभिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंध	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी संतुलन का पुराजीवन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि।	
समय रिक्ता	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूली में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला वल्लेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला ग्रानित विकास निधि (डी.एम.ए.ए)	राज्य	बड़े विमान पर जल संरक्षण लातिविधियाँ	
एम.पी.एस.ए.डी.	सॉलियरी और कार्गेक्स कल्यानवयन मंत्रालय (एम.पी.एस.पी.आई.)	अंतर्राष्ट्रीय अवसरणना	
एम.एल.ए.ए.ए.डी.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरणना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानजिलाजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय महालोक वा मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरणना	
टालादाता पायोजना			

आधिकार का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. अनुराग = ८३१४५८३०२५
2. शिला गोड = ९६४४५०३१०७
3. सीता गोड = ९६२४३९३२५३
4. संजु .. = ९६७६०८७१६२
5. बगेटा गोड = ९२१९५५६२३२

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

प्रधान मित्र
ग्राम पंचायत-खुटही
ठिकास खण्ड-सोदात
जिला-गाजीपुर.

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)